उद्योग विभाग

तकनीकी विकास निदेशालय

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित

प्रश्न एवं उत्तर

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्नः–1– मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?

उत्तरः– बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्ग के युवा/युवतियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने/स्वरोजगार को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लागू की गयी है। जिसमें इकाई स्थापित किये जाने हेतु अधिकतम रु0 10.00 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है।

प्रश्नः–2– मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के घटक क्या हैं?

उत्तरः– राज्य के बेरोजगार युवा/युवतियों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु लागू बिहार सरकार की इस योजना में पाँच घटक हैं– (क) मुख्यमंत्री अनु0 जाति/जनजाति उद्यमी योजना (ख) मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना (ग) मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (घ) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं (ड.) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना।

प्रश्नः–3– इस योजना के तहत सूचीबद्ध परियोजनाएं क्या है?

उत्तरः– सूचीबद्ध परियोजनाओं का चयन योजना से संबंधित चयन समिति द्वारा लिया जाता है। वर्तमान में 58 परियोजनाएँ सूचीबद्ध है, जिसमें से कैटेगरी–ए में 23 परियोजनाएं, कैटेगरी–बी में 23 परियोजनाएं एवं कैटेगरी–सी में 12 परियोजनाएं हैं।

प्रश्नः–4– परियोजनाओं का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?

उत्तरः– ज्यादातर इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने, उनके मार्केटिंग की संभावनाओं एवं उत्पादों की माँग को देखते हुए चयन समिति द्वारा परियोजनाओं का निर्धारण किया जाता है।

प्रश्नः–5– इस योजना हेतु आवेदन करने की अर्हता क्या है?

उत्तरः– मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन हेतु अर्हता निम्न हैः–

i. बिहार के स्थायी निवासी हो।

ii. कम–से–कम 10+2 या इन्टरमीडिएट, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उतीर्ण हो।

iii. 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हों।

प्रश्नः–6– इस योजना की कोटिवार सीमाएं (Limitations) क्या हैं?

उत्तरः– योजनान्तर्गत कोटिवार सीमा :–

i. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजनाः– इस योजनानतर्गत केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष/महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
ii. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजनाः– इस योजनान्तर्गत केवल अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के पुरूष/महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
iii. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजनाः– इस योजनान्तर्गत सभी वर्ग की महिला आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे।
iv. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनाः– इस योजनान्तर्गत केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरूष आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
v. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजनाः– इस योजनान्तर्गत केवल अल्पसंख्यक वर्ग के पुरूष/महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

प्रश्नः–7– मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत किन कागजातों की आवश्यकता है?

उत्तरः– मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज/कागजात निम्न है जो उद्यमी पोर्टल पर ऑनलाईन जमा किये जाते हैं :–

i. मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)।
ii. इन्टरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र।
iii. जाति प्रमाण–पत्र।
iv. स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।
v. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र (यदि आवश्यक हो)।
vi. आवेदक का Live फोटोग्राफ।
vii. आवेदक का हस्ताक्षर।

प्रश्नः–8– आवेदन के उपरांत चयन की प्रक्रिया क्या है?

उत्तरः– मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन करने एवं चयन की प्रक्रिया निम्न है :–

i. उद्यमी पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
ii. निर्धारित तिथि तक प्राप्त कुल आवेदनों के विरूद्ध जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदनों का प्रारंभिक रूप से चयन किया जायेगा।
iii. प्रारंभिक रूप से आवेदकों का चयन कम्प्यूटराज्ड रेण्डमाईजेशन पद्धति से किया जायेगा।
iv. प्रारंभिक रूप से चयनित आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर स्क्रुटनी की जायेगी।
v. स्क्रुटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जायेगा।
vi. आवेदक उसी जिले में अपने परियोजना को स्थापित करेंगे जिस जिले का स्थायी निवासी है, अन्यथा उनके आवेदन को रद्द कर दी जायेगी।

vii. आवेदक आवेदन करते समय परियोजना का चयन सावधानीपूर्वक करें, एक बार परियोजना चयन के उपरांत उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

प्रश्नः–9– इस योजनान्तर्गत चयनित लाभुक को किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाती है?

उत्तरः– मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किये गये परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु चयनित परियोजनावार अधिकतम रु0 10.00 लाख तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है जिसमें कुल परियोजना का 50 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5.00 लाख तक) अनुदान तथा शेष 50 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5.00 लाख तक) ब्याज मुक्त ऋण (युवा उद्यमी योजना के मामले में 1 प्रतिशत का ब्याज के साथ) के रूप में प्रदान किया जाएगा। आवेदकों को परियोजना राशि की स्वीकृति विभाग द्वारा तैयार मॉडल डी0पी0आर0 के अनुरूप किया जाएगा।

प्रश्नः–10– इस योजनान्तर्गत परियोजना राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति की प्रक्रिया क्या है?

उत्तरः– योजनान्तर्गत लाभुकों को परियोजना राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति निम्न प्रक्रिया के तहत की जायेगी :–

i. अंतिम रूप से चयनित आवेदकों का प्रथम चरण में 06 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा।
ii. अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कुल 02 मौका दिया जायेगा तथा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदक को आवेदन में दिये गये ई–मेल/दूरभाष के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जायेगी। दोनों बार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जायेगा।
iii. प्रथम चरण के प्रशिक्षणोंपरांत आवेदक के इकाई के नाम से चालू खाता (Current Account) में प्रथम किश्त की राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।
iv. प्रथम किश्त की राशि से परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम रु0 1.50 लाख, बिजली कनेक्शन+सेफ्टी कीट के क्रय पर रु0 25.00 हजार एवं अन्य मद में रु0 25.00 हजार व्यय किया जायेगा।
v. लाभुक द्वारा परियोजना स्थल किराये पर लेने की स्थिति में 06 माह का मासिक किराया अथवा अधिकतम रु0 50.00 हजार, जो न्यूनतम हो, अग्रिम के रूप में व्यय किया जा सकेगा।
vi. लाभुक द्वारा अपने निकट संबंधी (माता/पिता/दादी/दादा) से परियोजना स्थल को किराये पर लेने की स्थिति में अग्रिम (06 माह का मासिक किराया अथवा रु0 50.00 हजार) भुगतान मान्य नहीं होगा।

vii. लाभुक को प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा तथा अपलोड किये गये उपयोगिता का जाँच क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा।

viii. महाप्रबंधक के स्तर पर उपयोगिता स्वीकृत होने के उपरांत लाभूको का द्वितीय चरण में 06 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा।

ix. द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को कुल 02 मौका दिया जायेगा तथा प्रशिक्षण के निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदक को आवेदन में दिये गये ई–मेल/दूरभाष के माध्यम प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जायेगी। दोनों बार में अनुपस्थित रहने वाले लाभुकों को अगली किश्त की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

x. द्वितीय चरण के प्रशिक्षणोंपरांत आवेदक के इकाई के नाम से चालू खाते (Current Account) में द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

xi. लाभुक मशीनरी क्रय में निर्धारित कुल लागत राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत राशि का उपयोग अपनी सुविधानुसार मशीनरी क्रय में कर सकते हैं।

xii. लाभुक को द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा तथा अपलोड किये गये उपयोगिता का जाँच क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा। महाप्रबंधक के स्तर प्राप्त अनुशंसा के उपरांत लाभुकों को तृतीय किश्त की राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

xiii. लाभुक द्वारा प्रथम/द्वितीय किश्त का 90 प्रतिशत राशि व्यय करने की स्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लाभुक को अगली किश्त का अनुशंसा किया जा सकेगा।

xiv. लाभुक मॉडल डी0पी0आर0 में वर्णित मशीनरी से उन्नत/उत्कृष्ट क्षमता का मशीन अपने स्तर से अतिरिक्त राशि का व्यय कर क्रय कर सकते हैं।

xv. लाभुक द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का व्यय के क्रम में रु0 10.00 हजार से अधिक का सभी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम यथा–RTGS/NEFT/Cheque/ DD/UPI/ Net Banking इत्यादि के माध्यम से ही मान्य होगा।

xvi. लाभुक द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से मशीनरी क्रय पर होने वाली राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता के फर्म/इकाई के खाता में ऑनलाइन माध्यम यथा–RTGS/ NEFT/Cheque/DD/UPI/Net Banking इत्यादि के माध्यम से ही मान्य होगा।

xvii. मशीनरी क्रय का जी0एस0टी0 विपत्र ही मान्य होगा।

प्रश्नः–11– ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि का भुगतान (Repayment) और वसूली (Recovery) प्रक्रिया क्या होगी?

उत्तरः– मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त प्राप्त लाभुको से एकमुश्त राशि की वसूली (Recovery) अथवा ऋण राशि का भुगतान (Repayment) निम्न प्रक्रिया के तहत की जाएगी :–

i. योजनान्तर्गत द्वितीय/तृतीय किश्त का भुगतान होने के एक वर्ष के बाद लाभुकों द्वारा कुल परियोजना राशि का 50 प्रतिशत अर्थात ऋण राशि का किश्तवार भुगतान (Repayment) उद्यमी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जायेगा।
ii. निर्धारित समय पर ऋण राशि का किश्तवार भुगतान (Repayment) नही करने वाले लाभुकों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुकुल कार्रवाई की जाएगी।
iii. योजनान्तर्गत प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त प्राप्त लाभुकों द्वारा अपना उद्यम/इकाई स्थापित नहीं करने तथा परियोजना राशि का दुरूपयोग करने पर उनके विरूद्ध पी0डी0आर0 एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एकमुश्त राशि की वसूली (Recovery) की जायेगी।

प्रश्नः–12– उपयोगिता प्रमाण–पत्र पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्धारित दिनों की संख्या क्या है ?

उत्तरः– उपयोगिता प्रमाण–पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के लिए किस्त प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों का समय–सीमा निर्धारित है।

प्रश्नः–13– पोर्टल पर द्वितीय/तृतीय किस्त हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र अपलोड करने के लिए कुल कितने अवसर प्रदान की जाती है ?

उत्तरः– पोर्टल पर द्वितीय/तृतीय किस्त हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र अपलोड करने लिए कुल दो अवसर प्रदान की जाती है।

प्रश्नः–14– उपयोगिता प्रमाण–पत्र के रूप में किन दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य रहता है ?

उत्तरः– उपयोगिता प्रमाण–पत्र के रूप में लाभुकों को प्राप्त राशि से परियोजना के अनुरूप व्यय किये गये अभिश्रव (जी0एस0टी0 बिल के साथ), मशीनरी का फोटोग्राफ एवं कार्यस्थल का जी0पी0एस0 लोकेशन के साथ फोटोग्राफ अपलोड करना अनिवार्य है।

प्रश्नः–15– उद्यमी योजनान्तर्गत लाभुक को प्राप्त ऋण राशि का व्यय किस प्रकार किया जाना चाहिए ?

उत्तरः– लाभुक द्वारा मशीनरी/अन्य मद में 10,000 रू0 से अधिक राशि का भुगतान केवल चेक/नेट बैंकिग/U.P.I/अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाना मान्य है। किसी भी परिस्थिति में 10,000 रू0 से अधिक राशि का नगद भुगतान मान्य नहीं होगा।

प्रश्नः–16– क्या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चयनित सभी परियोजनाओं के लिए लाभुकों को 10.00 (दस) लाख की परियोजना राशि प्रदान की जाती है ?

उत्तरः– नहीं (लाभुकों द्वारा चयनित परियोजना के अनुरूप परियोजनावार निर्धारित राशि प्रदान की जाती है।)

प्रश्नः–17– अंतिम किस्त प्राप्ति के उपरांत कितने दिनों के पश्चात् लाभुक द्वारा ऋण राशि की निर्धारित मासिक किस्त का भुगतान (Repayment) किया जाना है ?
उत्तरः– अंतिम किस्त की प्राप्ति के एक वर्ष बाद ऋण राशि के निर्धारित मासिक किस्त का भुगतान (Repayment) किया जाना है।

प्रश्नः–18– योजनान्तर्गत ऋण राशि का भुगतान (Repayment) कितने किस्तों में निर्धारित है ?
उत्तरः– अंतिम किस्त प्राप्त होने के 12 माह के उपरांत 84 किस्तों में ऋण राशि का भुगतान (Repayment) निर्धारित है।

प्रश्नः–19– योजनान्तर्गत ऋण राशि का भुगतान (Repayment) का माध्यम क्या है ?
उत्तरः– योजनान्तर्गत ऋण राशि का भुगतान (Repayment) पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किया जाना है।

प्रश्नः–20– क्या योजनान्तर्गत प्राप्त राशि ब्याज मुक्त है ?
उत्तरः– मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला एवं अल्पसंख्यक उद्यमी योजनान्तर्गत प्रदान की गई राशि ब्याज मुक्त है जबकि केवल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत प्रदान की गई ऋण राशि पर 01 प्रतिशत ब्याज का प्रावधान है।

प्रश्नः–21– मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में विस्तृत एव अद्यतन जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ?
उत्तरः– मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में विस्तृत एव अद्यतन जानकारी विभागीय पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in/ पर प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्नः–22– मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदकों की अयोग्यता की शर्त्ते क्या है ?
उत्तरः– मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदकों के अयोग्यता की शर्त्ते निम्नलिखित हैं :–

i. आवेदक संविदाकर्मी/सरकारी नौकरी में हो (जिनका कुल मासिक वेतन रू0 15,000 से अधिक है।)
ii. पूर्व से उद्योग विभाग से संबंधित योजना का लाभार्थी हो यथा– PMEGP, मुद्रा लोन, SIPB, स्टार्ट–अप, औद्योगिक नवप्रवर्त्तन योजना।
iii. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विचौलिया या पागल घोषित किया गया है।
iv. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा 06 माह या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाया गया हो।

v. निर्वाचित जनप्रतिनिधि यथा– M.P, M.L.A, M.L.C, मुख्या, पंचायत समिति के सदस्य, प्रमुख, सरपंच, निर्वाचित जनप्रतिनिधि (नगर निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं सहित), पैक्स अध्यक्ष, नगर परिषद के सदस्य/नगर निगम के सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष/सदस्य।

vi. जन वितरण प्रणाली का डीलर।

vii. चयनित जिला के अलावा अन्य जिला में इकाई स्थापित करना चाहता हो।

viii. यह योजना विनिर्माण एवं सेवा प्रक्षेत्र के लिए है। व्यापार (बिजनेस) के लिये नहीं है।